संख्या : 13/2021- ई-49-3002/1/2021-3

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में ,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 121/ कृषि निवेश/बी-305, दिनांक 17 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पी0सी0एफ0 लखनऊ द्वारा ब्याज मद में रूपये 4,51,82,546.00 एवं अन्य सहकारी समितियों के परिवहन मद के अन्तर्गत सामान्य योजना में रूपये 10,59,459.00 और प्रीपोजिशनिंग योजना में रूपये 40,448.00 कुल धनराशि रूपये 4,62,82,453.00 का बिल प्रस्ताव सहित उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना हेतु प्राविधानित बजट रूपये 150.00 करोड़ के सापेक्ष रूपये 4,62,82,453.00 के बिलों की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजिशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -18 के अधीन लेखाशीर्षक " 2425- सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रायायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-27-सब्सिडी की मद में रूपये 15000.00 लाख की बजट व्यवस्था है, जिसके सापेक्ष रासायनिक उर्वरकों के ब्याज, परिवहन, भण्डारण मद तथा अन्य सहकारी समितियों के उर्वरकों के परिवहन मद में निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार धनराशि रूपये 4,62,82,453.00 की प्रतिपूर्ति किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रायायनिक उर्वरकों के ब्याज, परिवहन, भण्डारण मद तथा अन्य सहकारी समितियों के उर्वरकों के परिवहन मद में प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत बिलों का विवरण निम्नवत् है -

(धनराशि लाख रूपये में)

संस्था/ समिति	अवधि	मद				
		ब्याज	भण्डारण शुल्क	परिवहन		योग
				सामान्य योजना	प्रीपोजिशनिंग	
पी0सी0एफ0	मार्च 2021 अप्रैल, 2021	268.22 183.60	--		--	268.22 183.60
जालौन जिला सहकारी फेड0 लि0, उरई	मार्च, 2021		--	0.19	--	0.19
जिला सहकारी फेड0 लि0, बुलन्दशहर	फरवरी, 2021 मार्च, 2021		--	0.26 0.12	--	0.26 0.12

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0 सीतापुर	मार्च, 2021	--	--	0.06	--	0.06
केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, एटा	फरवरी, 2021 मार्च, 2021	--	--	2.33 0.14	--	2.33 0.14
सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, केरूगंज शाहजहांपुर	जनवरी, 2021 फरवरी, 2021	--	--	0.31 0.06	--	0.31 0.06
जिला सहकारी संघ लि0, बिजनौर	मार्च, 2021	--	--	1.13	--	--
जिला सहकारी फेड0 लि0, सीतापुर	जनवरी, 2021 फरवरी, 2021	--	--	0.11 0.09	--	--
केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारलि0, प्रयागराज	अगस्त, 2020 सितम्बर, 2020 दिसम्बर, 2020 जनवरी, 2021	--	--	0.12 0.05 0.89 1.32	--	--
जिला सहकारी विकास संघ लि0, मुजफ्फरनगर	मार्च, 2021 अप्रैल, 2021	--	--	1.03 2.38	0.40	1.43 2.38
योग		**451.82**		**10.59**	**0.40**	**462.81**

(कुल धनराशि रूपये 462.81 लाख रूपये चार करोड़ बासठ लाख इक्यासी हजार मात्र)

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता का होगा।

(2) विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय, जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारत हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के भुगतान में द्विरावृत्ति /पुनरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा- निर्देश /गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्रावधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) धनराशि के व्यय के दौरान वित्तय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना -27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-532-दस-2021-2022, दिनांक 29 जुलाई, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

उक्त शासनादेश ई-ऑफिस पोर्टल पर शासनादेश संख्या: ई-49-3002/1/2021-3, दिनांक 05 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत किया जा चुका है, अत: इसे संशोधित करते हुए यथावत् पढ़ा जाय।

भवदीय

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6) वेब मास्टर , कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।